पायनियर
नई दिल्ली, बुधवार, 3 जुलाई, 2024

नए कानून

महत्वपूर्ण परिवर्तन

नए आपराधिक कानूनों को लागू कर भारत ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस प्रकार भारत ने अंततः न्याय क्षेत्र में औपनिवेशिक विरासत से मुक्ति पा कर 'स्वदेशी आपराधिक कानूनों' के माध्यम से नए युग की शुरुआत की है। आदिम कालीन भारतीय दंड संहिता-आईपीसी, भारतीय साक्ष्य कानून तथा अपराध प्रक्रिया संहिता-सीआरपीसी के स्थान पर क्रमशः 'भारतीय न्याय संहिता', 'भारतीय साक्ष्य अधिनियम' तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लाया गया है। 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी हो चुके इस ऐतिहासिक परिवर्तन की विधि विशेषज्ञों, वकीलों तथा आम जनता में काफी चर्चा हो रही है। हालांकि, कुछ प्राविधान अतीत से एकदम अलग हैं, पर अन्य को थोड़े परिवर्तन के साथ बनाए रखा गया है। 1860 में बनी आईपीसी तथा 1872 में लागू इविडेंस एक्ट ने लंबे समय तक भारत की अपराध न्याय प्रणाली की सेवा की है। ये दोनों ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के उत्पाद थे और अक्सर इनको आदिकालीन व औपनिवेशिक युग के दृष्टिकोण वाले बता कर इनकी आलोचना की जाती थी। 1973 में लागू सीआरपीसी ने भी भारत में दंड प्रक्रिया के विधिक ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।
आईपीसी का स्थान लेने वाले नए कानून 'भारतीय न्याय संहिता' का उद्देश्य अपराध न्याय व्यवस्था का उच्चीकरण और भारतीयकरण है। इसमें कुछ प्राविधान निश्चित रूप से नए हैं, जबकि अनेक पुराने प्राविधानों की नकल मालूम होते हैं। एक उल्लेखनीय परिवर्तन 'अनलाफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट'-यूएपीए से आतंकवाद की परिभाषा स्वीकार करना है। इस नई परिभाषा में अनेक प्रकार की गतिविधियां शामिल हैं जिनका उद्देश्य भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को चुनौती देना हो। लेकिन कुछ आलोचकों का तर्क है कि यह व्यापक परिभाषा कानून के दुरुपयोग तथा 'वैध प्रतिरोध के आपराधीकरण' का कारण बन सकती है। इंडियन इविडेंस एक्ट का स्थान लेने वाले 'भारतीय साक्ष्य अधिनियम' में एक विशेष परिवर्तन समकालीन तकनीकी प्रगति को देखते हुए साक्ष्य-संबंधी नियमों का आधुनिकीकरण है। नए दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन इलेक्ट्रानिक प्रमाण स्वीकार करना है। इसी प्रकार सीआरपीसी का स्थान लेने वाली 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' में आपराधिक न्याय प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए अनेक परिवर्तन किए गए हैं। नए कानून में हथकड़ियों के उपयोग को पुनः परिभाषित कर पुलिस हिरासत का दायरा बढ़ा कर शुरुआती 15 दिन से अधिक किया गया है। आलोचकों की नजर में इसके संभावित दुरुपयोग तथा हिरासत में हिंसा बढ़ने की आशंका है। हालांकि, केन्द्रीय गृह मंत्री ने कानून लागू होने के बाद इस आशंका का खंडन किया है। कानूनी पेशे में लगे कुछ लोगों को नए कानूनों से असुविधा हो सकती है, पर सरकार ने नए कानूनों को लागू करने के लिए विभिन्न राज्यों की पुलिस के स्तर पर व्यापक तैयारी की है और अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए हैं। नए कानून लागू करने के साथ ही पुलिस, अभियोजन तथा अन्य संबंधित एजेंसियों की क्षमता वृद्धि जरूरी हो गई है। भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा है कि नए कानूनों का पूरा सकारात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए फारेंसिक विशेषज्ञों व जांच अधिकारियों के क्षमता निर्माण तथा ढांचागत संरचना में निवेश बढ़ाना आवश्यक है। नए कानूनों से इच्छित प्रभाव प्राप्त करने के लिए उनका समुचित जमीनी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना जरूरी है। इसके साथ ही उनके क्रियान्वयन पर लगातार निगरानी रखते हुए यह देखना जरूरी होगा कि कहीं 'निहित स्वार्थी' तत्व उनका दुरुपयोग न करने लगें।

सार्वजनिक संपत्ति का उचित प्रबंधन

नई सरकार भारत की विनिवेश नीति बदल रही है। वह घाटे वाले उद्यमों की सहायता कर रणनीतिक क्षेत्रों में राज्य-संचालित फर्मों को मजबूत कर रही है।

उत्तम गुप्ता
(लेखक, नीति विश्लेषक हैं)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन-राजग की नई सरकार वर्तमान विनिवेश नीति की समीक्षा कर रही है। वह केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों-सीपीएसयू को बचेने के बजाय 'व्यावहारिक सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन-पीडब्लूएम के रास्ते पर चलते हुए घाटे वाले उद्यमों की सहायता कर यह सुनिश्चित कर रही है कि रणनीतिक क्षेत्रों में राज्य-संचालित फर्मों की स्थिति मजबूत हो।' सीपीएसयू का अर्थ केन्द्र सरकार का ऐसा उद्यम है जिसमें उसके शेयर 50 प्रतिशत से अधिक हों। 'विनिवेश' इन उद्यमों के शेयर निजी निवेशकों को बेचने का नाम है। जब सीपीएसयू में सरकारी शेयरधारिता 50 प्रतिशत से कम हो तथा इसके साथ ही उसका स्वामित्व और प्रबंधन नियंत्रण निजी उद्यम को दे दिया जाए तो इसे 'रणनीतिक' विनिवेश या निजीकरण कहते हैं।

विनिवेश की पुरानी नीति की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2021-22 के अपने बजट भाषण में की थी। इसके अंतर्गत सीपीएसयू का वर्गीकरण दो श्रेणियों-रणनीतिक व गैर-रणनीतिक के रूप में किया गया था। रणनीतिक समूह में आणविक ऊर्जा, अंतरिक्ष व रक्षा, परिवहन व दूरसंचार, बिजली, पेट्रोलियम, कोयला व अन्य खनिज तथा बैंकिंग, बीमा व वित्तीय सेवायें शामिल हैं। गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में अन्य सभी क्षेत्र, जैसे औद्योगिक व उपभोक्ता उत्पाद, होटल एवं पर्यटन सेवायें, व्यापार तथा मार्केटिंग, आदि आते हैं। सरकार का इरादा रणनीति क्षेत्र के सभी उद्यमों को इस शर्त के साथ बेचने का था कि कम से कम एक और अधिकतम चार उद्यमों को सार्वजनिक क्षेत्र में बनाए रखा जाए।

जहां तक गैर-रणनीतिक क्षेत्रों का सवाल है, सरकार उनमें से 'सभी' में अपनी शेयरधारिता 50 प्रतिशत से नीचे लाना चाहती थी। सरल भाषा में कहें तो उन सबका निजीकरण होना था। इस श्रेणी के सभी घाटे वाले उद्यमों को बंद करना था। इस नीति के साथ सरकार का यह इरादा भी जुड़ा था कि विनिवेश से प्राप्त धनराशि का प्रयोग राजकोषीय घाटे या एफडी लक्ष्य पूरा करने में हो। यह हिस्सा अतीत की निरंतरता थी, जब मोदी सरकार ने 2015-16 में सीपीएसयू में अपने शेयरों की बिक्री पर खासकर 'रणनीतिक' विनिवेश पर जोर दिया था। कोविड-19 वैश्विक महामारी की पृष्ठभूमि में 2020-21 में वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले विनाशकारी परिणामों के कारण एफडी जीडीपी के 9.2 प्रतिशत तक पहुंच गया था।

इसे देखते हुए 2021-22 के बजट में सीतारमण ने विनिवेश से प्राप्त पूंजी पर ध्यान देते हुए इसका महत्वाकांक्षी लक्ष्य 175,000 करोड़ रखा। उस वर्ष सरकार ने बड़े विनिवेशों की योजना बनाई थी जिनमें भारत पेट्रोलियम लिमिटेड-बीपीसीएल, आईडीआई बैंक, एनएमडीसी स्टील तथा शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया-एससीआई, आदि शामिल थे। लेकिन यह प्रक्रिया बहुत धीमी गति का शिकार हो गई जिसके चलते साल दर साल बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशि के लक्ष्य तक घटाए गए। केवल दो वर्ष, यानी 2017-18 तथा 2018-19 में उसने एक सीपीएसयू से दूसरे को बिक्री कर दो बड़े लक्ष्य प्राप्त किए। 2017-18 में सरकार ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड-एचपीसीएल के 51.11 प्रतिशत शेयर तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम-ओएनजीसी को बचे कर 37,000 करोड़ रुपये प्राप्त किए। इसके अगले साल उसने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम-आरईसी के 52.63 प्रतिशत शेयर ऊर्जा वित्त निगम-पीएफसी को बेच कर 13,000 करोड़ रुपये प्राप्त किए। लेकिन इन बिक्रियों को रणनीतिक नहं कहा जा सकता है क्योंकि इनका खरीदार दूसरा सीपीएसयू था। इस प्रकार सरकार का विनिवेश वाले उद्यमों एचपीसीएल व आरईसी पर प्रभावी नियंत्रण बना रहा।

2021-22 तथा 2022-23 में परिणाम खासकर निराशाजनक रहे। 2021-22 में 175,000 करोड़ के लक्ष्य के उलट विनिवेश से मामूली 15,440 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इसी प्रकार 2022-23 में 65,000 करोड़ के लक्ष्य के विपरीत वास्तव में केवल 31,059 करोड़ प्राप्त हुए। 2023-24 में वित्त मंत्री ने लक्ष्य को और घटा कर 51,000 करोड़ कर दिया, जबकि इस साल के दौरान इसे और घटा कर केवल 30,000 करोड़ किया गया। इसके बावजूद वास्तविक प्राप्ति केवल 14,564 करोड़ रही। इसके बाद 1 फरवरी, 2024 को सीतारमण द्वारा बजट पेश करने के बाद वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि अब 'सरकार बजट संतुलित करने के लिए विनिवेश पर नजर नहीं रखती है।' क्या इस कथन का यह अर्थ था कि सरकार विनिवेश से प्राप्त धनराशि से एफडी घटाने का काम लेने के पुराने रास्ते से अलग हट रही थी। इसका जवाब 'नहीं' है क्योंकि सरकार ने 2024-25 के बजट में 'अन्य पूंजीगत प्राप्तियों' से 50,000 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित कर चुकी थी। इसमें परिंपत्तियों के मौद्रीकरण के अलावा विनिवेश से प्राप्त धनराशि शामिल है।

इस प्रकार सीपीएसयू में सरकारी शेयरों की बिक्री से संसाधन जुटाने का विचार मूलतः गलत सिद्ध हुआ। इसका कारण यह है कि जहां वर्तमान कर की दर तथा जीडीपी वृद्धि का तार्किक अनुमान लगा कर कर राजस्व का निश्चित अनुमान लगाया जा सकता है, वहीं यह बात विनिवेश के बारे में नहीं कही जा सकती है। इस मामले में काफी कुछ बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है जिसमें शेयरों की बिक्री वाली कंपनी के बारे में निवेशकों का दृष्टिकोण खासतौर से महत्वपूर्ण है। रणनीतिक बिक्री वाले मामलों में सरकार के समक्ष बड़ी चुनौती होती है। उसे बाजार के समर्थन के साथ ऐसे बोलीकर्ता तलाशने होते हैं जो बहुत अमीर हों। इसके साथ ही लाल-फीताशाही की लंबी और जटिल अनुमति प्रक्रिया भी सही समय पर बिक्री को लगभग असंभव बना देती है जिसके कारण रणनीतिक निवेशक नहीं मिल पाते हैं। नीति आयोग विनिवेश के लिए कंपनियों की पहचान करता है। इसके बाद इन पर विनिवेश सचिवों का प्रमुख समूह-सीजीडी विचार करता है। यह अपने आप में बहुत लंबी प्रक्रिया है जिसमें वैकल्पिक व्यवस्था-एएम जरूरी होती है। इसमें वित्त, सड़क व राजमार्ग परिवहन मंत्री, प्रशासनिक सुधार, आदि के मंत्री शामिल होते हैं। एएम की सहमति के बाद विनिवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग-दीपम एक प्रस्ताव तैयार करता है जिसे सिद्धान्त रूप में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति-सीसीईए की सहमति जरूरी होती है।

इन स्थितियों को देखते हुए सरकार को बजट तैयार करते समय इस साल शेयरों की बिक्री से किसी धनराशि के आंकड़े नहीं देने चाहिए क्योंकि साल के अंत में इनमें कमी अपरिहार्य है। इसके साथ ही सरकार को भारी मात्रा में कर राजस्व प्राप्त हो रहा है। 2020-21 से लगातार तीन साल तक यह लक्ष्य से अधिक रहा है। इसके साथ ही उसे सीपीएसयू से भारी डिविडेंट मिल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 में केन्द्र को 210,000 करोड़ का भारी डिविडेंट दिया है। इसके साथ ही दूसरे बैंकों ने भी सरकार को भारी डिविडेंट दिया है।

इन सकारात्मक प्रवृत्तियों को देखते हुए सरकार राजकोषीय घाटे का प्रबंधन बहुत आराम से कर सकती है। इसलिए 'अन्य पूंजीगत प्राप्तियों' पर निर्भर होने की कोई जरूरत नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन-पीडब्लूएम पर जोर देने तथा रणनीतिक क्षेत्र में राज्य-संचालित उद्यमों की मजबूत स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि सरकार ने इन क्षेत्रों में सीपीएसयू के निजीकरण का विचार पूरी तरह छोड़ दिया है। सरकार ने बीपीसीएल की बिक्री का विचार छोड़ दिया है जो उसके एजेंडे पर 2019-20 से था। यह आने वाले परिवर्तन का संकेत है। आवश्यकता पर रास्ता बदलना देश के सर्वोत्तम हित में है। मूलतः राज्य को उद्यम चलाने का काम नहीं करना चाहिए। इसमें हमेशा राजनीतिक हस्तक्षेप तथा नौकरशाही लाल-फीताशाही का खतरा बना रहता है जिससे सीपीएसयू के कामकाज में गंभीर बाधा आती है। सरकार को शेयरों की बिक्री जारी रखनी चाहिए और इसे नौकरशाही के नियंत्रण से मुक्त करने पर ध्यान देना चाहिए।

भारत में बढ़ती तपिश के प्रबंधन की रणनीतियां

> 2024 की गर्मियों में रिकॉर्ड तोड़ तापमान देखने को मिला है। नीति निर्माताओं के लिए यह ज़रूरी है कि वे अंतर्निहित कारणों को समझें और प्रभावी उपाय लागू करें।

वी के बहुगुणा
(लेखक, आईसीएफआर के पूर्व महानिदेशक हैं)

देश में भीषण गर्मी की लहरें चल रही हैं, जिससे पूरे उत्तर, मध्य और पश्चिमी भारत में एक महीने से भी ज़्यादा समय से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारत में 2024 में अब तक का सबसे गर्म तापमान दर्ज किया जा सकता है। 29 मई 2024 को दिल्ली के उपनगर मुंगेशपुर में एक मौसम केंद्र पर 52.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, हालांकि बाद में यह साबित हुआ कि यह थोड़ा ज़्यादा था। देहरादून जैसी ठंडी जगहों पर भी इस साल पिछले 53 सालों का सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। भारत में 30 करोड़ से ज़्यादा लोग गर्मी की लहरों से बचने के साधनों की कमी के कारण उच्च जोखिम में हैं। लोगों को बिजली और पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है और कई ग्रिड ओवरलोड के कारण लंबे समय तक बिजली गुल रहने के कारण ध्वस्त हो रहे हैं। देश भर में गर्मी की लहरों के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, मार्च से मध्य जून 2024 तक 150 लोगों की मौत लू के कारण हुई है और करीब 30,000 लोग हीट स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों से लोग गर्मी से बचने के लिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अन्य पहाड़ी इलाकों की ओर भाग रहे हैं और इस प्रक्रिया में भारी ट्रैफिक जाम लग रहा है और कई शहरों और कस्बों में नागरिक सुविधाएं अस्त-व्यस्त हो रही हैं। वाराणसी में गंगा नदी की चौड़ाई 35त्न कम हो गई है और अन्य नदियों और नालों के संकरे होने की भी ऐसी ही खबरें आ रही हैं।

देश के बदलते मौसम के रुझान के बारे में विशेषज्ञ सरकार और समाज को चेतावनी दे रहे हैं। अब नीति निर्माताओं, पेशेवरों और प्रशासकों के लिए सवाल यह है कि तापमान में इस तरह की अभूतपूर्व वृद्धि के कारणों का आकलन कैसे किया जाए और इससे निपटने के लिए संसाधनों को कैसे जुटाया जाए। अगर केंद्र और राज्य में सत्ता में बैठे लोग इससे कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निपटने के तरीके नहीं बदलते हैं तो कई आपदाएं समाज में स्थिरता और सामंजस्य को बर्बाद कर देंगी। एक बात जो सभी को सीखनी चाहिए वह यह है कि उच्च तापमान ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ते शहरीकरण, कंक्रीटीकरण के संयुक्त प्रभावों का परिणाम है, जिससे मौसम के पैटर्न में बदलाव आ रहा है। जहां तक दिल्ली और आस-पास के इलाकों का सवाल है, राजस्थान और हरियाणा से आने वाली शुष्क और गर्म पश्चिमी हवाएं गर्मी की लहर का कारण हैं। अब ये हवाएं रात के दौरान चलती रहती हैं और रात के तापमान को गिरने नहीं देती हैं और यह तब और बढ़ जाती है जब ये पश्चिमी हवाएं आसमान में बादल बनाती हैं जो तापमान को ठंडा होने से रोकती हैं। समाधान खोजने के लिए हमारे योजनाकारों और शहरों में नागरिक प्रशासकों को शहरी गर्मी द्वीप प्रभाव की चुनौतियों का सामना करना चाहिए।

प्रकृति में पेड़ और अन्य वनस्पतियाँ, हरे रंग की छतों के साथ, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से नमी को छोड़कर और सूर्य विकिरण को वापस वायुमंडल में परावर्तित करके शहरी गर्मी द्वीप प्रभावों को कम करने में मदद करती हैं। इसलिए, बड़े पैमाने पर घना शहरीकरण, इमारतें, सड़कें और फुटपाथ गर्मी को अवशोषित और बनाए रखते हैं और इसलिए विनाशकारी परिणामों के साथ शहरी गर्मी द्वीप प्रभाव होता है। दूसरी ओर, ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मी की लहरों के प्रभाव अलग हैं; गर्मी का प्रभाव कम या न्यूनतम है, लेकिन गर्मी के प्रभाव ज्यादातर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं जैसे गंभीर निर्जलीकरण, हीट स्ट्रोक, हीट थकावट और गैस्ट्रो-आंत्र संबंधी बीमारियों से संबंधित हैं, जो लंबे समय तक बिजली कटौती और पानी की कमी से बढ़ जाती हैं।

भारत ही गर्मी की लहरों से प्रभावित होने वाला एकमात्र देश नहीं है। यूरोप भी अप्रैल 2024 से गर्मी की लहरों से पीड़ित है। दक्षिणी यूरोप में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, खासकर स्पेन में। इस साल यूरोप में सबसे अधिक तापमान 14 अप्रैल 2024 को ज़ेनेका और बोस्निया में 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यूरोपीय देश की संरचना ऐसी है कि वे लगातार गर्मी की लहरों का सामना नहीं कर सकते। इस लेख का उद्देश्य इस बात पर जोर देना है कि भारत में केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर गर्मी के मौसम से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक नीति बनानी चाहिए।

सबसे पहले जो किया जाना चाहिए वह है एक निश्चित सीमा से अधिक तापमान को प्राकृतिक आपदा/जलवायु आपातकाल घोषित करना और विभिन्न शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इससे निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं लागू करना। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार को पीने योग्य पानी और बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए, साथ ही त्वरित स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ प्रदान करने के लिए मोबाइल डिस्पेंसरी भी होनी चाहिए। प्रत्येक गांव में झील और तालाब अनिवार्य रूप से बनाए जाने चाहिए ताकि किसानों और मवेशियों सहित लोगों को पानी मिल सके। इसके लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर अल्पकालिक योजना जोखिम मूल्यांकन और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की आवश्यकता है।

मूलभूत आवश्यकताओं में से एक एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण बनाकर जिला प्रशासन को फिर से तैयार करने की आवश्यकता है ताकि जलवायु-लचीला विकास सुनिश्चित किया जा सके और किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयारी की जा सके। हालांकि, शहरी क्षेत्रों में संपूर्ण नागरिक प्रशासन में वास्तविक परिवर्तन आवश्यक है। शहर और देश की योजना को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है और साथ ही सत्ता-केंद्रित नागरिक निकायों की फिर से समीक्षा करने की भी जरूरत है। नालियाँ खस्ताहाल हैं और उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए ताकि अगली आपात स्थिति में भी समस्याएँ न हों।

आप की बात

कांग्रेस की बौखलाहट

सदन में विपक्ष ज़रूरी है, परन्तु संसद की गरिमा ताक पर रखकर अनर्गल बयानबाजी कांग्रेस की बौखलाहट उजागर करती है। भाजपा नेताओं और संघ को हिंदू नही मानने की मनोवृत्ति कांग्रेस के पतन को आमंत्रित करती है। हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की ही संसद में हिंदू नेताओं को हिंदू न मानने और ऐसी घोषणा करने से राहुल गांधी की विकृत सोच स्पष्ट होती है। ऐसी बयानबाजी से संसद की गरिमा धूमिल होती है। ऐसे में यह सवाल भी उठना स्वाभाविक है कि क्या राहुल गांधी ने अपने मुस्लिम वोटबैंक को संतुष्ट करने के लिए ऐसा कहा, अथवा वे स्वयं तथा कांग्रेस नीत विपक्ष को भाजपा से बेहतर हिंदू सिद्ध करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। दोनों स्थितियां खतरनाक हैं। आखिर लगातार तीसरी बार देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी को हिंदू न मानने का क्या अर्थ है? क्या देश का जनमानस चुनावी मौसम में मंदिर-मंदिर दौड़ लगाने और भद्दे ढंग से भगवान शंकर का चित्र सदन में लहराने वाले राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा तथा संघ परिवार से बेहतर हिंदू मानेगा जिन्होंने सैकड़ों साल के संघर्ष के बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाया है तथा वे विरासत के साथ ही आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं?

– **योगेश जोशी,** बड़वाह

प्रशंसनीय पहल

उत्तर प्रदेश के नव नियुक्त मुख्य सचिव ने पदग्रहण करते ही एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली-आईजीआरएस की समीक्षा की। उन्होंने दो निस्तारित शिकायतों की जांच की तो पता लगा कि शिकायतकर्ताओं की समस्यायें हल नहीं हुई थीं। इस पर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने घोषणा की कि अब वे नियमित रूप से आईजीआरएस पर शिकायत निस्तारण की जांच करते रहेंगे। उनकी इस प्रशंसनीय पहल का स्वागत किया जाना चाहिए। लोगो की समस्याओं और शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिये सरकार ने आईजीआरएस प्रणाली बनाई थी, यह कुछ नौकरशाहों की लापरवाही के कारण बदनाम हो रही है। जनता की समस्याओं का ब्लाकों, तहसीलों, जिलों और आईजीआरएस के स्तर पर भी निस्तारण न होने पर लोग मुख्यमंत्री के दरबार मे दस्तक देते हैं। कई बार लोग सरकारी योजनाओं में जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायत करते हैं, पर इनका त्वरित निस्तारण न होने से सरकार की छवि खराब होती है। उम्मीद करनी चाहिए कि मुख्य सचिव की यह पहल निचले स्तर पर अधिकारियों में संवेदना पैदा करेगी। जनता की शिकायतों पर फर्जी समाधान की रिपोर्टों पर कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए।

– **कुलदीप मोहन त्रिवेदी,** उन्नाव

बरसात का मौसम

बरसात के सीजन में लोग कई समस्याओं से जूझते हैं। प्रायः पहली बारिश में ही बिजली चली जाती है तथा सड़कें पानी से भर जाती हैं जिसके कारण वाहनों को चलाने में दिक्कत आती है। कहीं पर करंट लगने से दुर्घटनाएं होती हैं तो कहीं नदियों में लोग डूब जाते हैं। कहीं पेड़ गिर जाते हैं तथा नालियों में पानी जमा रहने से कई बीमारियां भी पैदा होती है। वर्षा के मौसम में तकरीबन हर साल लोगों को ऐसी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जल संचय के प्रति भी हम लोग बहुत उदासीन हैं जिससे बारिश का 50 प्रतिशत से अधिक पानी बेकार बह जाता है, साथ ही बाढ़ के रूप में भारी तबाही मच जाती है। यदि हर गांव के नदी परनालों पर छोटे-छोटे स्टॉप डेम बनाकर पानी रोका जाए तथा शहरों से लेकर गांव तक वाटर रिचार्जिंग हर खेत, हर घर पर हों और नदियों को आपस में जोड़ा जाए तो बाढ़ की समस्या तो कम होगी ही गर्मी में पेय जल की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वृक्षारोपण और जल-संचय के लिए जनता को ही आगे आना होगा। एक पेड़ मां के नाम अभियान में लोग बढ़-चढ़ कर उत्साह पूर्वक भाग ले रहे हैं। जन-जागरूकता से बरसात की समस्याओं से मुक्ति के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के महान काम में सहयोग मिलेगा।

सुभाष बुडावन वाला, रतलाम

अपरिपक्व राहुल

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कई मुद्दे उठाए। लेकिन उन्होंने शिवजी का चित्र लहराते तथा अन्य धर्मगुरुओं के संदर्भ से सभी हिंदुओं को हिंसक, झूठ बोलने वाला, आदि बता दिया। अपनी गलती का अहसास होने पर राहुल ने इसे सत्ता पक्ष तक केन्द्रित कर दिया। लेकिन तब तक प्रधानमंत्री तथा भाजपा के अन्य नेताओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी। साधु संतों और धर्म गुरुओं ने राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया की है। इसके अलावा भी राहुल गांधी ने किसानों को मिलने वाली एमएसपी तथा शहीद अग्निवीरों को मिलने वाली धनराशि पर झूठ बोला। इसका कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तत्काल तथ्यों के साथ खंडन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वे राहुल द्वारा बोले गए तथ्यों की जांच कराएं। विडंबना है कि राहुल गांधी नेता विपक्ष बनने के बाद भी चुनाव-प्रचार वाली मुद्रा से बाहर नहीं निकल पाए हैं। यह उनकी अपरिपक्वता प्रदर्शित करता है जो उनके साथ कांग्रेस पार्टी के लिए हानिकारक है।

– **वीरेंद्र कुमार जाटव,** दिल्ली

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

दैनिक जागरण
संवाद के अभाव में ही विवाद उत्पन्न होते हैं

हाथरस में हृदयविदारक

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक धार्मिक समागम में भगदड़ मचने से सौ से अधिक लोगों की मौत एक भयावह घटना है। यह घटना इसीलिए घटी, क्योंकि इस समागम में अनुमान से कहीं अधिक संख्या में लोग शामिल हुए और जब वे आयोजन के उपरांत जाने लगे तो अव्यवस्था के चलते भगदड़ मच गई और लोगों ने ही एक-दूसरे को कुचल दिया। इस तरह की घटनाएं केवल जनहानि का कारण ही नहीं बनतीं, बल्कि देश की बदनामी भी कराती हैं। हाथरस की घटना कितनी अधिक गंभीर है, इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अपने संबोधन के बीच इस हादसे की जानकारी दी। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि उत्तर प्रदेश सरकार ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं और दोषी लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, क्योंकि आमतौर पर यही देखने में आता है कि इस तरह के मामलों में कार्रवाई के नाम पर कुछ अधिक नहीं होता। इसी कारण रह-रहकर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और उनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी जान गंवाते हैं। इसके बावजूद कोई सबक सीखने से इन्कार किया जाता है। धार्मिक आयोजनों में अव्यवस्था और अनदेखी के चलते लोगों की जान जाने के सिलसिले पर इसलिए विराम नहीं लग पा रहा है, क्योंकि दोषी लोगों के खिलाफ कभी ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती, जो नजीर बन सके।

हाथरस में जिन बाबा के सत्संग में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी, वह पहले पुलिस सेवा में थे और उनके आयोजन की देख-रेख उनके अनुयायी करते हैं। यह हैरानी की बात है कि किसी ने यह देखने-समझने की कोई कोशिश नहीं की कि भारी भीड़ को संभालने की पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं? यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि इस आयोजन की अनुमति देने वाले अधिकारियों ने भी कागजी खानापूरी करके कर्तव्य की इतिश्री कर ली। यदि ऐसा नहीं होता तो किसी ने इस पर अवश्य ध्यान दिया होता कि आयोजन स्थल के पास का गड्ढा लोगों की जान जोखिम में डाल सकता है। ऐसा लगता है कि अपने देश में धार्मिक-सामाजिक आयोजनों में कोई इसकी परवाह नहीं करता कि यदि भारी भीड़ के चलते अव्यवस्था फैल गई तो उसे कैसे संभाला जाएगा? क्या इसलिए कि प्रायः मारे जाने वाले लोग निर्धन वर्ग के होते हैं? यह तय है कि हाथरस में इतनी अधिक संख्या में लोगों के मारे जाने पर शोक संवेदनाओं का तांता लगेगा, लेकिन क्या शोकाकुल होने वाले ऐसे कोई उपाय भी सुनिश्चित कर सकेंगे, जिससे भविष्य में देश को शर्मिंदा करने वाली ऐसी घटना न हो सके? प्रश्न यह भी है कि आखिर धार्मिक आयोजनों में धर्म-कर्म का उपदेश देने वाले लोगों को संयम और अनुशासन की सीख क्यों नहीं दे पाते? यह प्रश्न इसलिए, क्योंकि कई बार ऐसे आयोजनों में भगदड़ का कारण लोगों का असंयमित व्यवहार भी बनता है।

यूनिवर्सल कार्टन

फल राज्य के रूप में पहचान बना रहे हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में बागवानी महत्वपूर्ण है। हिमाचल के सेब की मांग पूरे देश में रहती है। औसतन राज्य में साढ़े चार हजार करोड़ रुपये के सेब का कारोबार होता रहा है। कई बार मौसम अनुकूल न रहने के कारण सेब उत्पादन प्रभावित हो जाता है। सरकारी स्तर पर भी बागवानी को बढ़ावा दिया जा रहा है। सेब के अलावा गुठलीदार फल, आम और नींबू प्रजाति के फलों का कारोबार भी प्रदेश में बढ़ा है। उधर बागवानों के साथ धोखाधड़ी की शिकायतें भी लगातार आती रही हैं। अन्य राज्यों के आढ़ती लाखों रुपये के फल बागवानों से ले जाते हैं, लेकिन बाद में गायब हो जाते रहे हैं। सेब सीजन के दौरान ऐसे मामले अधिक होते हैं। अभी तक सेब की खरीद पेटियों के अनुसार की जाती थी, इसके लिए टेलीस्कोपिक पेटियां ही उपलब्ध होती थीं। माना जाता था कि एक पेटी में 20 से 24 किलोग्राम सेब होगा, लेकिन इनमें कई बार 30 से 35 किलो तक सेब भर दिए जाते थे। इससे बागवानों को भारी क्षति होती थी। इस कारण बागवान यूनिवर्सल कार्टन की मांग कर रहे थे। सरकार ने भी इस सीजन से यूनिवर्सल कार्टन में ही सेब की बिक्री अनिवार्य कर दी थी। अब यूनिवर्सल कार्टन के लिए भी कंपनियों का चयन और इनके मूल्य का निर्धारण भी कर दिया गया है। राज्य में चार कंपनियां यूनिवर्सल कार्टन उपलब्ध करवाएंगी। मंडियों में सेब की खरीदारी करने वाले व्यापारियों का रिकार्ड रखा जाए, ताकि यदि कोई व्यापारी किसी तरह की गड़बड़ी करता है तो उसे पकड़ा जा सके। बागवानों को ऐसे आढ़तियों से सतर्क रहना होगा जो उन्हें प्रलोभन देकर ठगी करते हैं। सिर्फ पंजीकृत आढ़तियों से ही लेन-देन करना चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि यूनिवर्सल कार्टन लागू किए जाने से बागवान लाभान्वित होंगे।

झूठा इतिहास गढ़ने का षड्यंत्र

विकास सारस्वत

नालंदा पर झूठ वामपंथी इतिहासकारों की मक्कारी की लंबी फेहरिस्त में सिर्फ एक किस्सा है, लेकिन अफसोस है कि आज भी उनका वर्चस्व बना हुआ है

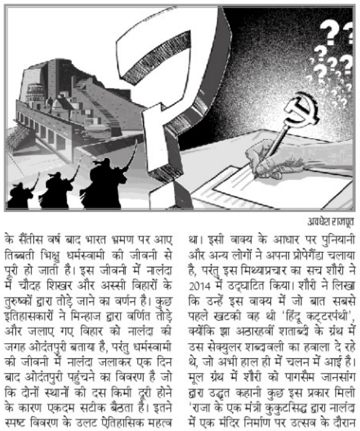

अवधेश राजपूत

पिछले दिनों ज्यों ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के नए भवन का शिलान्यास किया, त्यों ही मीडिया से लेकर इंटरनेट मीडिया पर यह दुष्प्रचार शुरू हुआ कि नालंदा महाविहार को बख्तियार खिलजी ने नहीं, बल्कि ब्राह्मणों ने जलाया था। इस दुष्प्रचार को मुख्य स्वर आइआइटी, बांबे के पूर्व प्रोफेसर राम पुनियानी ने दिया। पुनियानी पहले भी सोमनाथ और काशी विश्वनाथ विध्वंस पर बेशर्मी से झूठ बोल चुके हैं। नालंदा महाविहार पर उनके स्वयं के बयान को शायद इतना महत्व न मिलता, परंतु पुनियानी ने अपनी दलील के समर्थन में प्रख्यात मार्क्सवादी इतिहासकार द्विजेंद्र नारायण झा को उद्धृत किया। आर्यों के तथाकथित आक्रमण से लेकर राम मंदिर की अदालती कार्यवाही में मार्क्सवादी इतिहासकारों ने जितना झूठ परोसा है, वह एक अच्छे खासे पुस्तकालय की सामग्री बन सकता है। नालंदा पर झूठा कथानक भी ऐसा ही एक प्रयास है। प्रोफेसर डीएन झा द्वारा नालंदा पर तथ्यों से किए गए खिलवाड़ का जवाब प्रख्यात लेखक एवं पत्रकार अरुण शौरी ने बहुत पहले ही दे दिया था। शौरी की अकाट्य दलीलों पर आने से पहले प्रामाणिक इतिहास जान लेना आवश्यक है।

वर्ष 1197 में नालंदा विध्वंस का सबसे पहला उल्लेख मामलूक सल्तनत के फारसी इतिहासकार मिन्हाज अल दीन की किताब तबकात-ए-नासिरी में मिलता है। मिन्हाज 1927 में भारत आया और नालंदा पर हमले का वर्णन उसने कुछ इस प्रकार किया, 'वह (बख्तियार) दो सौ घुड़सवारों के साथ बिहार के किले के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा और अचानक उस स्थान पर हमला कर दिया। बड़ी निडरता से बख्तियार ने खुद को महल के प्रवेश द्वार के पीछे फेंक दिया और किले पर कब्जा कर लिया और भारी लूट हासिल की। उस स्थान के निवासियों में, जिनमें बड़ी संख्या ब्राह्मणों की थी, और उन सभी ब्राह्मणों के सिर मुंडे हुए थे, वे सभी मारे गए। वहां बड़ी संख्या में पुस्तकें थीं और जब यह सभी पुस्तकें मुसलमानों के हाथ आईं तो उन्होंने हिंदुओं को बुलवाया ताकि वे उन पुस्तकों की लेखनी के संबंध में जानकारी दे सकें, लेकिन सारे हिंदू मारे गए थे। उन किताबों की सामग्री से परिचित होने पर पता चला कि वह पूरा किला और शहर एक कालेज था और हिंदू अपनी भाषा में कालेज को विहार कहते हैं।'

मिन्हाज जिन्हें ब्राह्मण बता रहा था, वे संभवतः बौद्ध भिक्षु रहे होंगे। अन्यथा मुंडे हुए सिर की अपेक्षा शिखाओं का वर्णन आता। यदि कोई कहे कि तबकात-ए-नासिरी में 'नालंदा' नाम विशेष रूप से नहीं आया है तो यह कमी नालंदा विध्वंस के सैंतीस वर्ष बाद भारत भ्रमण पर आए तिब्बती भिक्षु धर्मस्वामी की जीवनी से पूरी हो जाती है। इस जीवनी में नालंदा में चौदह शिखर और अस्सी विहारों के तुरुष्कों द्वारा तोड़े जाने का वर्णन है। कुछ इतिहासकारों ने मिन्हाज द्वारा वर्णित तोड़े और जलाए गए विहार को नालंदा की जगह ओदंतपुरी बताया है, परंतु धर्मस्वामी की जीवनी में नालंदा जलाकर एक दिन बाद ओदंतपुरी पहुंचने का विवरण है जो कि दोनों स्थानों की दस किमी दूरी होने के कारण एकदम सटीक बैठता है। इतने स्पष्ट विवरण के उलट ऐतिहासिक महत्व की इस घटना पर डीएन झा ने अपना विपरीत पक्ष 2004 की इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में दिया। झा ने कहा 'एक तिब्बती परंपरा यह है कि ग्यारहवीं शताब्दी के कलचुरी राजा कर्ण ने मगध में कई बौद्ध मंदिरों और मठों को नष्ट किया था और तिब्बती ग्रंथ पागसैम जानसांग में कुछ 'हिंदू कट्टरपंथियों' द्वारा नालंदा के पुस्तकालय को जलाने का उल्लेख है।' जिस ग्रंथ का जिक्र झा ने किया वह अठारहवीं शताब्दी में लिखा गया था। इसी वाक्य के आधार पर पुनियानी और अन्य लोगों ने अपना प्रोपेगैंडा चलाया है, परंतु इस मिथ्याप्रचार का सच शौरी ने 2014 में उद्घाटित किया। शौरी ने लिखा कि उन्हें इस वाक्य में जो बात सबसे पहले खटकी वह थी 'हिंदू कट्टरपंथी', क्योंकि झा अठारहवीं शताब्दी के ग्रंथ में उस सेक्युलर शब्दावली का हवाला दे रहे थे, जो अभी हाल ही में चलन में आई है। मूल ग्रंथ में शौरी को पागसैम जानसांग द्वारा उद्धृत कहानी कुछ इस प्रकार मिली 'राजा के एक मंत्री कुकुटसिद्ध द्वारा नालंदा में एक मंदिर निर्माण पर उत्सव के दौरान कुछ शरारती नौसिखिये भिक्षुओं ने दो गैर-बौद्ध भिखारियों पर पानी छिड़क दिया और उन्हें दरवाजे और चौखट के बीच दबा दिया। इससे क्रोधित होकर एक भिखारी ने दूसरे की परिचर के रूप में सेवा की जो सूर्य की सिद्धि प्राप्त करने के लिए 12 वर्षों तक गहरे गड्ढे में बैठा रहा। सिद्धि प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने द्वारा किए गए हवन की राख को 84 बौद्ध मंदिरों पर फेंक दिया। वे सभी जल गए। विशेष रूप से, धर्मग्रंथों को आश्रय देने वाले नालंदा के तीन धर्म गंज भी आग में भस्म हो गए। गुह्यसमाज और प्रज्ञापरमिता के धर्मग्रंथों से पानी की धाराएं बहने लगीं, जो रत्नधाती मंदिर की नौवीं मंजिल में स्थित थीं। इससे अनेक धर्मग्रंथ बच गए। बाद में, राजा के दंड के डर से दोनों भिखारी उत्तर में हसामा (असम) भाग गए। हालांकि, दोनों की मृत्यु आत्मदाह के कारण हुई।'

शौरी के अनुसार डीएन झा द्वारा उद्धृत उपरोक्त वाक्य एक अन्य मार्क्सवादी इतिहासकार बीएनएस यादव की पुस्तक 'सोसायटी एंड कल्चर इन नार्दर्न इंडिया' से शब्दशः लिया गया था, परंतु मजे की बात यह थी कि जहां यादव ने कलचूरी राजा द्वारा मगध के मंदिर मठों को नष्ट करने वाली तिब्बती परंपरा को संदेहास्पद बताया है, वहीं झा ने 'संदेहास्पद' शब्द को अपने वक्तव्य से हटा दिया। साथ ही यादव द्वारा लिखे गए 'भिखारी' शब्द को झा ने 'हिंदू कट्टरपंथी' में बदल दिया। एजेंडा लेखन के तहत डीएन झा ने एक नहीं, बल्कि कई स्तर पर छलावा किया। सबसे पहले एक दूसरे इतिहासकार के लेखन को चोरी किया और फिर उसमें से वैसे शब्दों को हटाया या बदला, जिससे अर्थ का अनर्थ हो गया। इसके अलावा समकालीन विवरण की अपेक्षा अठारहवीं शताब्दी के ऐसे ग्रंथ को महत्व दिया, जो टोने-टोटकों की बात करता है। नालंदा पर डीएन झा का झूठ वामपंथी इतिहासकारों की मक्कारी की लंबी फेहरिस्त में सिर्फ एक किस्सा है। अफसोस की बात यह है कि तमाम कारगुजारियां उजागर होने के बाद भी वामपंथी इतिहासकारों का प्रभाव अकादमिक जगत और शासकीय व्यवस्था पर पहले की ही तरह बना हुआ है।

(लेखक इंडिक अकादमी के सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

झूठ की राजनीति के मजबूत होते पैर

राजीव सचान

आज के युग में संसद में दिए गए किसी के भाषण के अंश हटाकर झूठ का प्रतिकार नहीं किया जा सकता

कहावत तो यह है कि झूठ के पैर नहीं होते, लेकिन राजनीति में झूठ के पैर भी होते हैं और वह तेज गति से चलते भी हैं। यही नहीं, कभी-कभी वे लंबी दूरी भी तय करते हैं और समाज एवं देश को क्षति भी पहुंचाते हैं। राजनीति में झूठ का सहारा लेना अथवा किसी के कथन को तोड़-मरोड़ कर पेश करना या फिर उसकी मनमानी व्याख्या करना कोई नई-अनोखी बात नहीं। यह काम लंबे समय से होता चला आ रहा है। अब यह कहीं अधिक सुनियोजित तरीके से होने लगा है। लोकसभा चुनाव के दौरान आरक्षण पर अमित शाह का 'बयान' इसी सुनियोजित शरारत का प्रमाण था। डिजिटल मीडिया के इस युग में जब सोशल नेटवर्क साइट्स का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है और नैरेटिव बनाने में उनकी भूमिका बढ़ गई है, तब झूठ को गढ़ने और उसे प्रचारित-प्रसारित करने का पूरा एक तंत्र खड़ा हो चुका है। इस तंत्र में कुछ फर्जी फैक्टचेकर भी शामिल हैं। इस तंत्र के चलते अब अपने मनमाफिक नैरेटिव खड़ा करना कहीं अधिक आसान हो चुका है। इधर से आलू डालो-उधर से सोना निकालो और हर किसी के खाते में 15-15 लाख रुपये पहुंचेंगे, इसी तंत्र का कमाल था।

लोकसभा चुनाव के समय झूठ के पैर लगाने और उसे दौड़ने वाला तंत्र कहीं अधिक सक्रिय दिखा। नेता भी इस तंत्र का हिस्सा बने और इसका एक प्रमाण तब देखने को मिला, जब कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि यदि भाजपा चार सौ सीटों के साथ सत्ता में आ गई तो संविधान बदल देगी और आरक्षण खत्म कर देगी। भाजपा ने इस नैरेटिव की काट के लिए तमाम जतन किए, लेकिन नाकाम रही और उसे उसका राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ा। हालांकि भाजपा ने भी राजनीतिक लाभ के लिए यह नैरेटिव चलाने का प्रयास किया कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों की संपत्ति का सर्वे करके उन्हें अपने वोट बैंक के बीच बांटने का काम करेगी, लेकिन इसमें उसे नाकामी ही मिली और वह भी तब, जब यह प्रचार खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया। चूंकि कांग्रेस को संविधान खतरे में है का हौवा खड़ा करने में सफलता मिली, इसलिए वह अभी भी यह थोथा नैरेटिव चलाने में लगी हुई है कि हमने संविधान बचाने का काम किया। राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपने पहले संबोधन में यही दावा किया। यह वही राहुल गांधी हैं, जिन्हें उस आपातकाल की आलोचना रास नहीं आई, जिसके जरिये संविधान की प्रस्तावना को बदलने के साथ ऐसे संशोधन लाकर यह भी प्रविधान कर दिया गया था कि संसद से पारित कानूनों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। यह नग्न तानशाही थी, फिर भी कांग्रेस इस पर जोर देने में लगी हुई है कि आपातकाल की आलोचना नहीं की जानी चाहिए। यह चोरी और सीनाजोरी का सटीक उदाहरण था कि राहुल गांधी को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को यह नसीहत देने में कोई संकोच नहीं हुआ कि सदन में आपातकाल के खिलाफ प्रस्ताव नहीं लाया जाना चाहिए।

संसद में सड़क सरीखा भाषण। प्रेट्र

नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी ने कई झूठ सच की तरह स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने डंके की चोट पर कहा, जो अपने को हिंदू कहते हैं, वह 24 घंटे हिंसा और नफरत...। बाद में वह यह भी डंके की चोट पर कहते नजर आए कि उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस नेता न केवल राहुल गांधी के बचाव में उतर आए, बल्कि इस पर भी जोर देने लगे कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। यही वह तंत्र करने में लग गया, जिसका काम ही झूठ को सच की शक्ल देना होता है।

भाजपा नेता इससे खुश हो सकते हैं कि राहुल गांधी के भाषण के कई अंश लोकसभा की कार्यवाही से हटा दिए गए, लेकिन यह व्यर्थ की खुशफहमी है। आज के युग में इस तरह से झूठ का प्रतिकार नहीं किया जा सकता। भले ही राहुल गांधी के संबोधन के कई अंश लोकसभा की कार्यवाही से हटा दिए गए हों, लेकिन वे डिजिटल मीडिया में उपस्थित हैं। इसीलिए राहुल गांधी ठसक के साथ कहने में लगे हुए हैं कि हटा दो, मुझे जो कहना था, कह दिया। जब संसद में इतनी आसानी से झूठ कहा जा सकता है, तब इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है कि बाहर कितना बेफिक्र होकर कहा जा सकता है। राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपने पहले संबोधन में झूठ की अच्छी-खासी दीवार खड़ी की। उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर कहा कि किसी अग्निवीर की जान जाने पर सरकार उसके परिवार के लोगों को कोई मुआवजा नहीं देती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तत्काल खड़े होकर कहना पड़ा कि सरकार एक करोड़ रुपये की धनराशि देती है और राहुल को सदन को गुमराह नहीं करना चाहिए, लेकिन उनका तो उद्देश्य ही यही था और इसीलिए उन्होंने यह भी कहा कि सरकार किसानों को एमएसपी नहीं देती। उनके इस झूठ का खंडन कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को करना पड़ा। इसके भरे-पूरे आसार हैं कि आने वाले समय में नेता झूठ का सहारा लेने में कोई संकोच नहीं करेंगे। इसके नतीजे में राजनीति में झूठ का बोलबाला और बढ़ेगा। इसके आसार इसलिए अधिक हैं, क्योंकि राहुल गांधी के संसद में सड़क सरीखे भाषण को उनके दल के नेता ऐतिहासिक भाषण की संज्ञा दे रहे हैं, जबकि अपने इस भाषण के जरिये राहुल गांधी कोई छाप नहीं छोड़ सके। उन्होंने अपने भाषण में यह तो कहा कि आइए मिलकर काम करें, लेकिन फिर खुद ही यह सुनिश्चित कर दिया कि इसकी सूरत न बने।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

जीवन की राह

जीवन में सुख के क्षण कब बीत जाते हैं, यह पता ही नहीं चलता, किंतु दुख की घड़ियां बड़ी लंबी खिंच जाती हैं। क्या हमने कभी कल्पना की है कि जीवन में दुख क्यों आते हैं? ऐसा क्यों नहीं संभव है कि सिर्फ खुशियां ही बनी रहें और सदैव अच्छा समय चलता रहे। वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। इसके पीछे का उत्तर यही कहा जा सकता है कि ईश्वर हमें जीवन की दोनों अवस्थाओं के लिए तैयार करना चाहते हैं। जब दुख हो तो इतनी सामर्थ्य रहे कि उससे निकल सकें और सुख हो तो यह भान रहे कि किसी का अहित न करें। ईश्वर तो हमें जीवन की हर चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं।

जीवन की दो स्थितियों की तरह हैं सुख और दुख। दुख की स्थिति में इंसान बिखरता भी है और निखरता भी है। यह तय करना हमारा काम है कि हमें किसका चयन करना है। यदि हम दुखों के भंवर में उलझते चले जाएंगे, किसी अप्रिय स्थिति-घटना अथवा दुखद प्रसंग का ही स्मरण करते रहेंगे तो हम स्वयं ही उस पीड़ा से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि हमने पीड़ा से नाता जोड़ लिया है। इस प्रकार से हम जकड़न की स्थिति में फंस जाते हैं।

किसी अपने से बिछोह की पीड़ा का वर्णन नहीं किया जा सकता, किंतु इससे उबरना ही होता है। समय के फेर ने मानव व्यवहार में व्यापक परिवर्तन ला दिया है। उबरने की इस प्रक्रिया में दुनिया किसी को दुखी देखकर कहती है कि वह आपका दुख समझते हैं, लेकिन वास्तव में दुख भोगने वाला ही उसका अनुभव कर पाता है। दुख नितांत निजी होता है। हमारे इर्दगिर्द के लोग भी सांत्वना देकर हमें बार-बार दुख के स्मरण की ओर ही उन्मुख करते हैं। इसलिए दुख की अवस्था में अपने आत्मा की सक्रियता बढ़ाकर अंतस में परमात्मा के अन्वेषण का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वही हमें सही मार्ग दिखाने में सक्षम हैं। यही राह हमें जीवन को लेकर सही दृष्टिकोण विकसित करने में सक्षम बनाती है।

डा. सौरभ जैन

जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता

सुधीर कुमार

जैव विविधता के बहुस्तरीय विनाश को रोकना जरूरी है, क्योंकि इससे मानव जीवन का भी अस्तित्व जुड़ा है

जलवायु परिवर्तन के कारण दुनियाभर के पारिस्थितिकी तंत्र के समक्ष स्थिरता का खतरा मंडरा रहा है। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार, पिछले पांच दशकों में दुनिया की लगभग 70 प्रतिशत जैव विविधता नष्ट हो गई है और तकरीबन 10 लाख प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। जैव विविधता भोजन, पानी, औषधि, आजीविका और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र की निश्शुल्क प्रदाता है, जो जीवन को सुगम और सुदीर्घ बनाने में भी सहायक है, लेकिन विभिन्न कारणों से क्षय होती जैव विविधता सामाजिक-आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं को जन्म दे रही है।

वनों की अंधाधुंध कटाई, प्रदूषण, वन्यजीवों का अवैध व्यापार, महासागरीय अम्लीकरण और आक्रामक प्रजातियों द्वारा मूल प्रजाति पर किए जाने वाले हमलों के कारण जैव विविधता का विनाश हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हमारी सबसे प्रभावी प्राकृतिक ढाल प्रदान करने वाली जैव विविधता आज जलवायु परिवर्तन के चलते ही खतरे में है। स्थल पर उच्च तापमान, पानी की कमी, प्रदूषण की अधिकता तथा बाढ़, सूखा, भूस्खलन जैसी जलवायु प्रेरित प्राकृतिक आपदाओं के कारण स्थलीय जैव विविधता की जीवन प्रत्याशा में कमी आई है, जबकि समुद्री पारितंत्र में बढ़ते तापमान और समुद्री जल के अम्लीकरण के कारण मछलियों, प्रवाल भित्तियों और अन्य समुद्री जीवों का अस्तित्व खतरे में है। दूसरी ओर भूमि को मानव अधिवास, उद्योग और कृषि के लिए परिवर्तित करने तथा वनोन्मूलन के कारण जानवरों और पौधों की अनेक प्रजातियों का निवास छीन जाता है, जिससे उनकी विलुप्ति का खतरा मंडराने लगता है। वहीं रसायनों, अपशिष्टों और प्लास्टिक से जुड़ा भूमि प्रदूषण, वायु, ध्वनि और भूमि प्रदूषण भी जैव विविधता के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। महासागरीय जल का अम्लीकरण विभिन्न प्रकार के समुद्री जीवों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इससे समुद्री जीवों का भोजन और जीवन तथा मानव की आजीविका प्रभावित होती है। वहीं आक्रामक या गैर-स्वदेशी वन्यजीव एवं पौधे की प्रजातियां देशज प्रजातियों के लिए भक्षक बन जाती हैं, जिससे जैव विविधता का विनाश होता है।

जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में कुनमिंग-मांट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा का विशेष महत्व है। इसके तहत 196 देशों ने वैश्विक स्तर पर विनष्ट हुई कम से कम 30 प्रतिशत भूमि, मीठे पानी और महासागर की पुनर्बहाली की शपथ ली है। बहरहाल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता, खाद्य शृंखला की सुरक्षा, जीवन की निरंतरता और सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जैव विविधता का संरक्षण और संवर्धन अनिवार्य है।

(लेखक बीएचयू में शोधार्थी हैं)

जीत की हकदार भारतीय टीम

'बहुत कुछ कहने वाली विजयगाथा' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में तरुण गुप्त ने टी-20 विश्व कप में भारत की जीत का बिंदुवार विश्लेषण किया है। पिछले कुछ समय से क्रिकेट के विभिन्न प्रारूपों में भारतीय टीम की बादशाहत कायम रही है और लगभग हर बड़े टूर्नामेंट से पहले उसे संभावित विजेता के रूप में देखा गया, लेकिन इसके बावजूद आइसीसी ट्राफी टीम के लिए दूर की कौड़ी बनी हुई थी। पिछले एक साल की ही बात करें तो भारतीय टीम ने आइसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप और एक दिवसीय विश्व कप के बाद टी-20 विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई। टेस्ट चैंपियनशिप में तो लगातार दूसरी बार फाइनल खेला जो टीम के प्रदर्शन में निरंतरता को दर्शाता है। यह बात अलग है कि पहले न्यूजीलैंड और फिर आस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना कर खिताब का सपना टूट गया, लेकिन इससे टीम की काबिलियत पर कोई संदेह नहीं रह जाता। इसी तरह एक दिवसीय विश्व कप में भी टीम पूरी स्पर्धा में अपराजेय रहते हुए फाइनल में जाकर ही हारी थी। ये कोई कम बड़ी उपलब्धियां नहीं। ब्रिजटाउन में हासिल हुई इस विजयगाथा से जुड़ी कई प्रेरक कहानियों को भी लेखक ने बहुत तार्किक रूप से प्रस्तुत किया। इस महाविजय पर जब पूरा देश जश्न मना रहा है तब हमें यह भी सोचना होगा कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और रवींद्र जडेजा जैसे उन खिलाड़ियों के विकल्प कैसे तलाश जाएं, जिन्होंने एक लंबे अर्से तक अपनी अद्भुत प्रतिभा एवं कौशल से भारतीय क्रिकेट की बड़ी सेवा की है। यह अच्छी बात है कि भारत के पास प्रतिभाओं का ऐसा भंडार है

मेलबाक्स

कि उनकी जगह भरने के लिए कई नाम उपलब्ध हैं, लेकिन इन तीनों दिग्गजों की विरासत ऐसी है, जिसे आगे ले जाना युवाओं के लिए बड़ी चुनौती होगी। यही बात नए कोच पर लागू होगी, क्योंकि राहुल द्रविड़ एक स्वर्णिम सफलता के साथ इस पद से विदा हो रहे हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में टीम के माहौल को भी बढ़िया बनाए रखा।

गुंजन शर्मा, कमला नगर-नई दिल्ली

जल्द न्याय मिलने की उम्मीद

एक जुलाई, 2024 से देश में नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं। तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई के कदम बढ़ा दिए हैं। नए कानूनों में भी महिलाओं एवं बच्चों के साथ होने वाले अपराधों में बेहद कठोर प्रविधान हैं। विवेचना में फोरेंसिक साक्ष्यों के महत्व को बढ़ाया गया है। ऐसे में पुलिस के सामने ऐसे अपराधों में दोषियों को सजा सुनिश्चित कराने के अपने रिकार्ड को कायम रखने की भी बड़ी चुनौती होगी। नए कानूनों में दंड के बजाय न्याय पर फोकस किया गया है। ये कानून व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं और मानव अधिकारों के मूल्यों के अनुरूप हैं। इन नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से सबको जल्द न्याय मिलने की उम्मीद है।

मीना धानिया, दिल्ली

दिल्ली में जलभराव की समस्या

मानसून की पहली वर्षा से दिल्ली में सरकारी तंत्र की पोल खुल गई। जलभराव से बचने के सारे उपाय वर्षा में धुल गए। यहां के लोगों को जलभराव से भारी परेशानी हुई, विभाग एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में लगे हुए हैं। पिछले साल भी वर्षा में यही हाल था, पर किसी ने सबक नहीं लिया। दिल्ली के मिंटो ब्रिज पर जलभराव की समस्या पिछले कई साल से है। अब भी वहां पर यह समस्या जस की तस है। लापरवाह अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जलभराव से जहां वाहनों की रफ्तार थम जाती है, वहीं जाम लगने के कारण लोगों को कई-कई घंटों तक भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जलजमाव कई रोगों की भी वजह बनता है। इसमें मच्छर पनपते हैं, जो डेंगू, मलेरिया जैसी घातक बीमारियां फैलाते हैं। इस समस्या का जल्द समाधान किए जाना चाहिए।

नवीन चंद्र तिवारी, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

अमर उजाला

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का 75

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक

स्थापना वर्ष : 1948

हमें अपनी इच्छाओं के बजाय अपने संसाधनों के बारे में सलाह-मशविरा करना चाहिए। -जॉर्ज वाशिंगटन

हाथरस हादसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी मूल वजह तो जांच के बाद पता लगेगी, लेकिन ऐसे हादसों से सबक यह मिलता है कि जहां भी ऐसे बड़े आयोजन होते हैं, वहां लोगों की सुरक्षा को लेकर पूरी सावधानी नहीं बरती जाती। लिहाजा ऐसे आयोजनों में भीड़ प्रबंधन केंद्रीय महत्व का विषय होना चाहिए।

हाथरस हादसा

उत्तर प्रदेश में हाथरस के फुलरई मुगलगढ़ी गांव में एक सत्संग स्थल पर मची भगदड़ में सौ से ज्यादा लोगों की मौत व डेढ़ सौ से ज्यादा के घायल होने की खबर बेहद दुखद और स्तब्धकारी है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वे हृदयविदारक तो हैं ही, उनसे वहां के भयावह हालात का भी अंदाजा लगता है। बताया जा रहा है कि सत्संग के दौरान उम्मीद से ज्यादा भीड़ आ गई। एक अनुमान के अनुसार, करीब बीस हजार लोग वहां पहुंच गए थे। भीड़ के कारण गर्मी और उमस से लोग परेशान होने लगे। सत्संग खत्म होने के बाद पहले बाहर निकलने की होड़ से भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग गिर गए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। अफरा-तफरी में जो गिर गए, वे कुचलते चले गए, शायद इसलिए ही मरने वालों में महिलाएं और बच्चे ज्यादा हैं। उल्लेखनीय है कि भगदड़ से होने वाली मौतें एक गंभीर विषय है और देश में पहले भी ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के एक अध्ययन से पता चलता है कि भारत में भगदड़ के 79 फीसदी मामले धार्मिक सभाओं और तीर्थयात्राओं के कारण होते हैं। किसी भी धार्मिक सभा या आयोजन से पहले प्रशासन से अनुमति लिए जाने का नियम है। मंजूरी देते वक्त प्रशासन लोगों की संख्या और उपलब्ध जगह की जांच तो करता ही है, इसके साथ ही वह लोगों के निकास की व्यवस्था को भी देखता है। हाथरस का सत्संग एक निजी आयोजन था, जिसमें कानून-व्यवस्था का ध्यान रखने के लिए प्रशासन ने व्यवस्था की थी, लेकिन अंदर की व्यवस्था आयोजकों द्वारा होनी थी। लेकिन जिस तरह अप्रत्याशित भीड़ सत्संग में जमा हुई और बाहर निकलते वक्त भगदड़ मची, वह प्रशासन की चूक की तरफ इशारा तो करती ही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, भगदड़ के बाद स्थिति को संभालने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो नहीं ही थी, चिकित्सकीय आपात जैसे हालात से निपटने के लिए भी कोई योजना नहीं थी। इस कारण घायलों को जो भी गाड़ी मिली, उसी से अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करनी पड़ी। हालांकि राज्य सरकार ने तत्परता से घटना की जांच के निर्देश दिए हैं, और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंत्रियों को भी घटनास्थल पर हालात का जायजा लेने एवं समुचित कार्रवाई करने के लिए भेजा है। हादसे की मूल वजह तो खैर जांच रिपोर्ट के बाद सामने आएगी। फिलहाल, पूरा फोकस इस पर होना चाहिए कि घायलों को समय पर उचित चिकित्सा सहायता मिले। हाथरस की इस त्रासदी से सबक लेकर भीड़ प्रबंधन पर भी गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है।

प्रतिस्पर्धी विचारों की जरूरत

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण इस महीने पूर्ण बजट पेश करेंगी। विपक्ष हमेशा शोर मचाता है, लेकिन उसे वैकल्पिक बजट पेश करने से कौन रोकता है, जिसमें प्रतिस्पर्धी विचारों के जरिये वह दिखा सकता है कि बेहतर नतीजों के लिए संसाधनों का प्रभावी इस्तेमाल कैसे किया जाए?

शंकर अय्यर

वरिष्ठ पत्रकार

बजट का इतिहास खुद में एक दिलचस्प यात्रा है। किवदंती है कि मध्ययुगीन फ्रांस में यायावर गीतकार बोगेट (बजट) में रखे गए अपने धन का प्रबंधन किसी संरक्षक को सौंपते थे, जिसे बजटकर्ता के रूप में जाना जाता था। ब्रिटेन में जब 'बजट' शब्द का उपयोग होने लगा, तो इसने अपना प्रभामंडल और कद हासिल किया। 1400 ईस्वी तक ब्रिटिश संसद महज एक याचिका निकाय थी, जहां सांसद अपनी शिकायतों के समाधान की मांग करते थे और राजशाही खर्च योजना को मंजूरी देती थी। 18वीं सदी तक, चांसलर द्वारा पेश किए जाने वाले बजट का उद्देश्य खर्च को कम करना और एक नए सामाजिक अनुबंध के अनुसार, राजा की कर लगाने की शक्ति पर अंकुश लगाना था।

आधुनिक काल में ब्रिटेन में कड़ी प्रतिद्वंद्विता के कारण छाया मंत्रिमंडल और छाया बजट की रूपरेखा तैयार हुई, जिससे संस्थाओं को प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण एवं योजनाएं पेश करने का मौका मिला। वास्तव में मौजूदा चुनाव में भी सट्टेबाजी और अन्य घोटालों के अलावा प्रमुख मुद्दा टोरिज और लेबर पार्टी के बीच वैचारिक प्रतिद्वंद्विता है। वैकल्पिक बजट केवल ब्रिटेन में ही नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड और दक्षिण अफ्रीका तक में प्रचलित है।

इसी महीने बाद में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश करेंगी। यह कवायद ऐसे समय हो रही है, जब कुछ दिनों पहले लोकसभा चुनाव में दोनों गठबंधनों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर घोषणापत्रों एवं बयानबाजी के जरिये अपने दृष्टिकोण पेश किए, जिनमें बेरोजगारी, कृषि संकट, महंगाई, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे ज्वलंत मुद्दे शामिल थे। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र (न्याय पत्र) में कई विचार पेश किए। भाजपा के प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण 'मोदी की गारंटी' की झलक स्पष्ट रूप में बजट में दिखेगी। आम तौर पर किसी भी बजट के बाद होने वाली बहस दावों और प्रतिदावों के शोर की प्रतिस्पर्धा होती है। इसके बाद विलाप का एक सुनियोजित कोरस होता है कि किसने किया और क्या नहीं किया। इस बहस में बजट आवंटन पर कोई सूचना नहीं होती। विपक्ष हमेशा दावा करता है कि इसे बेहतर किया जा सकता था। सवाल उठता है कि विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों को छाया मंत्रिमंडल बनाने से कौन रोकता है, जिसमें मंत्री मंत्रालयों की निगरानी करते हैं और एक प्रतिस्पर्धी बजट पेश करते हैं। विपक्षी गठबंधन अपने दावों को दस्तावेज के रूप में क्यों नहीं 'दूध का दूध और पानी का पानी' की तरह साबित कर सकता?

सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध जानकारी तक विपक्ष की पहुंच है। फरवरी, 2024 में पेश किए गए अंतरिम बजट में बुनियादी मैक्रो डाटा शामिल है। इसके अलावा, पूर्वानुमानों के अद्यतन आंकड़े भी उपलब्ध हैं-इसमें 2023-24 के लिए जीडीपी के अंतिम अनुमान, बेहतर प्रत्यक्ष कर संग्रह का विवरण, जीएसटी प्राप्तियों के आंकड़े, भारतीय रिजर्व बैंक से अधिशेष, मौद्रिक नीति समिति के बयानों में विकास और मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान शामिल हैं। वैकल्पिक बजट को सरकार द्वारा बजट पेश किए जाने के एक या दो दिन पहले या बजट के एक दिन बाद जारी किया जा सकता है।

बजट तैयार करना राजनीतिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं को एक साथ जोड़ने का विज्ञान और कला, दोनों है। यह देश के लोगों के लिए उपयोगी होगा, ताकि वे 'विकास के एजेंडे को कैसे तैयार किया जाए' इस पर दोनों पक्षों के फोकस और दृष्टिकोण की तुलना कर पाएंगे। चुनाव अभियान ने मुद्रास्फीति, कृषि संकट और बेरोजगारी के मुद्दों पर बढ़ती चिंता और मध्यम वर्ग की कथित उपेक्षा की पीड़ा को उजागर किया। कांग्रेस के पास यह दिखाने का अवसर है कि वह किस तरह से अपने विचारों को सामने रखेगी और अर्थव्यवस्था को गति देगी। मसलन, प्रशिक्षुता कार्यक्रम और प्रति वर्ष एक लाख रुपये का भुगतान, प्रत्येक गरीब परिवार को एक लाख रुपये बिना शर्त नकद हस्तांतरण की महालक्ष्मी योजना। यह कोई रहस्य नहीं है कि नोटबंदी, जीएसटी की शुरुआत और कोरोना महामारी जैसे कई व्यवधानों के कारण राज्यों में कई अनौपचारिक उद्यम और एमएसएमई बंद हो गए।

असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के ताजा वार्षिक सर्वे के विश्लेषण से पता चलता है कि 18 लाख उद्यमों के बंद होने से 50 लाख से ज्यादा नौकरियों का नुकसान हुआ। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में कौशल विकास वृत्ति द्वारा सक्षम एक मॉडल कार्यक्रम या 'आकांक्षी जिलों' में एक बड़ा कार्यक्रम पेश कर सकता है। यह भी सबको मालूम है कि प्राथमिक स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जरूरत और उपलब्धता के बीच भारी अंतर है। विपक्षी पार्टियां स्वास्थ्य और अन्य पहलों के विस्तार के लिए एक फंडिंग योजना की रूपरेखा बना सकती हैं, साथ ही विकास को समर्थन देने के लिए एक विधायी एजेंडा भी बना सकती हैं।

वैकल्पिक बजट विपक्षी गठबंधन को यह दिखाने का मौका दे सकता है कि संसाधनों (जैसे बढ़े हुए राजस्व और आरबीआई के अधिशेष) को बेहतर परिणामों के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है या किया जाना चाहिए। इसके लिए विपक्षी गठबंधन पूर्व वित्त मंत्रियों, अर्थशास्त्रियों जैसे जानकार लोगों को इकट्ठा करके इस कार्य के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन कर सकता है। पार्टियां बजट की तरह बुनियादी टेम्पलेट पेश करने के लिए सहयोग कर सकती हैं, जिसमें राजस्व की प्राप्ति और खर्च के साथ उद्देश्य को दर्शाया गया हो।

वैकल्पिक दृष्टिकोण केवल राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहे। यह काम कॉरपोरेट द्वारा वित्त पोषित थिंक टैंक एवं उद्योग मंडलों द्वारा भी किया जा सकता है। उद्योग मंडलों की इच्छा सूची में पूंजीगत व्यय में 25 फीसदी की वृद्धि, पीएलआई का विस्तार, निम्न एवं मध्य आय वर्ग के परिवारों को आयकर में राहत का प्रावधान, स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर निवेश में वृद्धि, छोटे उद्यमियों को समर्थन, मौजूदा कॉरपोरेट टैक्स पर यथास्थिति शामिल हैं, हालांकि इसमें वित्तीय समेकन पर जोर दिया गया है। भारत इस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। ऐसे में 'क्या है और क्या हो सकता है' के बीच राजनीति फंसी नहीं रह सकती। जलवायु परिवर्तन, प्रौद्योगिकी व भू-राजनीति जैसे व्यवधान अनिश्चितता को बढ़ा रहे हैं। एक अरब से अधिक लोगों की आकांक्षाएं जीवन और आजीविका के मुद्दों पर हितधारकों से प्रतिस्पर्धी विचारों की हकदार हैं।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

इवान तुर्गनेव

परिस्थितियों के अनुकूल होने के इंतजार में हम कभी शुरुआत नहीं कर पाएंगे। दरअसल, प्रकृति लोगों के तर्कों की परवाह नहीं करती। वह अपने हिसाब से चलती है।

अनुकूल परिस्थितियों का इंतजार न करें

मानव और प्रकृति के बीच अटूट बंधन है। प्रकृति मानव चरित्र का आधार है। जो लोग प्रकृति से प्रेम करते हैं, वे अन्य लोगों के प्रति भी उदासीन नहीं रह सकते। मैंने अपना पूरा जीवन मानवता को देखने में बिताया है, मानो कोई प्रकृति विज्ञानी किसी अनोखे जीव का अध्ययन कर रहा हो। रूस के विशाल एस्टेट्स से लेकर पेरिस की चहल-पहल भरी सड़कों तक, मैंने हर तरह की जटिलताओं के साथ मानवीय स्थिति की झलक देखी है।

इन्सान बड़ा ही जटिल प्राणी है। वह हमेशा कई ताने-बाने बुनता रहता है। वह इंतजार करता रहता है कि अनुकूल समय आएगा, तो वह कुछ शुरू करेगा। लेकिन जो समय या परिस्थितियों के अनुकूल होने का इंतजार करते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यदि आप सोचते हैं कि आपको सब कुछ तैयार मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। परिस्थितियों के अनुकूल होने के इंतजार में हम कभी शुरुआत नहीं कर पाएंगे। दरअसल, प्रकृति लोगों के तर्कों की परवाह नहीं करती। वह अपने हिसाब से चलती है। हम तब तक उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते, जब तक कि उसके पहियों से कुचले नहीं जाते। आप करते रहें इंतजार, प्रकृति तो अपनी गति से ही चलेगी। प्रतीक्षा करते-करते काफी देर बाद मिलने वाली खुशी से उतना आनंद नहीं मिलता, बल्कि इस दौरान आप कई बार भाग्य तक को कोसने लगते हैं। प्रकृति कोई मंदिर न होकर एक कार्यशाला है और मनुष्य इसमें काम करने वाले कारीगर। प्रकृति को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उसके दरवाजे पर कितनी बार दस्तक दी। वह गूंगी है, आपको कोई जवाब नहीं देगी। वह वायलिन की तरह कंपन करेगी, पर आपको उससे संगीत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसलिए आप जो भी कर सकते हैं, अपने लिए ही करें। दूसरों की कठपुतली न बनें।

जब आप कोई काम खुद के लिए खुद से करते हैं, तो जीवन का असली आनंद उसी से मिलता है। जब तक आप कार्य कर सकते हैं, करें। विफल हो जाएं, तो सड़क के किनारे बैठ जाएं और बिना क्रोध व ईर्ष्या के सड़क से गुजरने वालों को देखें, क्योंकि उन्हें भी दूर तक जाना नहीं होता है। जो लोग खुद को एक व्यवस्था से बांध लेते हैं या कुछ चीजों में जकड़े रहते हैं, वे सत्य को नहीं समझ सकते। वे एक परिपाटी पर चलकर उसी की पूंछ पकड़े रहते हैं, जबकि सच छिपकली की तरह होता है। जैसे, कोई छिपकली को पकड़ता है, तो छिपकली अपनी पूंछ छोड़कर आगे निकल जाती है, क्योंकि वह जानती है कि उसकी पूंछ फिर उग आएगी। इसलिए निरंतर आगे बढ़ते रहें। परिस्थितियां भी हमें किसी न किसी रास्ते पर जाने के लिए बाध्य करती रहती हैं।

साहसी प्रतीक्षा नहीं करते

सूत्र

हमें एक-दूसरे की मदद करनी चाहिए। व्यक्ति खुद के लिए कुछ भी उम्मीद न करे, लेकिन दूसरों के प्रति गहरी सहानुभूति रखना ही वास्तविक पवित्रता है। कई लोग चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन जिम्मेदारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं। कमजोर लोग कभी भी चीजों को खुद पूरा नहीं करते, वे हमेशा अंत की प्रतीक्षा करते हैं। वहीं, जो लोग साहसी होते हैं, वे किसी की प्रतीक्षा किए बिना अपने काम में लग जाते हैं।

दूसरा पहलू

चीन के वाहन उद्योग ने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कारों की नकल कर नई कारें तो बना दी हैं, लेकिन उनको बेचने में मुश्किल हो रही है।

चीन की इलेक्ट्रिक कारों को नहीं मिल रहे खरीदार

चीन के वाहन उद्योग ने पिछले एक दशक में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कारों की नकल करके कारों के निर्माण में क्रांति ला दी। चीन में बड़े स्तर पर उत्पादन भी किया जा रहा है। लेकिन चीन की कार निर्माता कंपनियों को यूरोप में कारों के खरीदार ढूंढने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। यूरोप के बंदरगाहों पर आयातित कारों, जिनमें बड़ी संख्या में चीन की इलेक्ट्रिक कारें हैं, की भीड़ लगी है। इनमें से अनेक कारें, तो 18 महीनों से खड़ी हैं। निर्माता कारों को बेचने के लिए जूझ रहे हैं।

गुणवत्ता के मामले में भले ही चीन के इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पहले से स्थापित कार ब्रांडों को चुनौती देते हों, लेकिन उपभोक्ताओं का भरोसा नहीं जीत सके हैं। दरअसल, चीन का वाहन विस्तार कार्यक्रम 1960-70 के दशक के जापान से मेल खाता है। उस वक्त जापान से यूरोप आने वाले उत्पाद अच्छे तो थे, लेकिन वे पश्चिमी डिजाइन, सुंदरता और टिकाऊपन के मामले में मार खा जाते थे। जापानी कारों को छोटा, कमजोर और जंग लगने वाला माना जाता था। साथ ही दिखने में भी ये यूरोप की कारों की तुलना में कमतर थीं। हालांकि, विश्वसनीय, सस्ती और स्टाइलिश कारों पर तेजी से ध्यान केंद्रित कर जापान 1990 और 2000 में ऑटोमोटिव पावरहाउस बन गया।

चीन को पश्चिमी देशों में संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और यूरोप की कारों की अवैध नकल भी चीनी कार निर्माताओं की राह में बाधा है, लेकिन जापान से सबक लेकर चीनी कार कंपनियां कई विकल्पों के साथ आगे बढ़ रही हैं। वोल्वो, लोटस और एमजी जैसे ब्रांडों की रणनीतिक खरीद ने चीन को सम्मानित ब्रांड भी दिए हैं और सबसे बड़ी बात, इनके पास दुनिया का सर्वोत्तम इंजीनियरिंग ज्ञान भी है। पश्चिमी ब्रांडों को खरीदने के बावजूद चीनी वाहन निर्माता पश्चिमी ब्रांडों के ग्राहकों का भरोसा नहीं जीत सके हैं। 1960 के दशक में फोर्ड को लेकर कहावत प्रचलित थी कि 'रविवार को जीतें और सोमवार को बेचें'। दरअसल, खरीदार जब स्पोर्ट्स कार को रेस जीतते हुए देखते थे, तो वे उसे खरीदने के लिए प्रेरित होते थे। पश्चिमी कार निर्माताओं के पास एक विरासत है, जो खरीदारों का भरोसा जीतती है। वहीं, चीन निर्माता इस प्रतिस्पर्धा में जूझते नजर आते हैं। चीन की कारें सस्ती हैं, लेकिन कई देशों में उन पर उच्च आयात शुल्क लगाया जाता है। चीन से आयातित कारों पर टैक्स और बढ़ सकता है, क्योंकि यूरोपीय संघ इसकी समीक्षा कर रहा है। इसके अलावा, टेस्ला के ऑफर भी चीन की कंपनियों के लिए चुनौती बन रहे हैं। *(कन्वर्सेशन से)*

टॉम स्टेसी

यूरोप के बंदरगाहों पर आयातित कारें, जिनमें बड़ी संख्या में चीन की इलेक्ट्रिक कारें हैं, जमा हो रही हैं। इनमें से अनेक कारें, तो 18 महीनों से पार्किंग में खड़ी हैं।

चीन को पश्चिमी देशों में संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और यूरोप की कारों का अवैध रूप से नकल करना भी चीनी कार निर्माताओं की राह में बाधा है। पश्चिमी निर्माताओं के पास एक विरासत है, जो खरीदारों का भरोसा जीतती है।

आंकड़े

मखाने की मांग

भारत, विशेषकर बिहार के मखाने की दुनिया दीवानी है। विश्व के देशों में इसकी सबसे ज्यादा मांग अमेरिका में है।

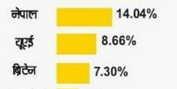

मखाने का मालदीव में 5.18% और ऑस्ट्रेलिया में 4.52% निर्यात होता है।

स्रोत : MoC

भारद्वाज मुनि ने एक बार महर्षि याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया कि एक राम तो दशरथ कुमार हैं और वे राम कौन हैं, जिनका जाप भगवान शंकर करते हैं?

भारद्वाज के मन का संदेह

अंतर्यात्रा

संकलित

देवगुरु बृहस्पति के भाई उतथ्य के पुत्र भारद्वाज मुनि प्रयागराज में रहते थे। उनकी एक कन्या का विवाह महर्षि याज्ञवल्क्य के साथ हुआ था। प्रत्येक मकर के अवसर पर प्रयागराज में गंगा किनारे कल्पवास के लिए कई साधु-संत आते थे। इनमें से ज्यादातर मुनि के आश्रम में ही ठहरते थे।

एक बार महर्षि याज्ञवल्क्य को उन्होंने कुछ समय के लिए आग्रह कर रोक लिया। उनका मंतव्य रामकथा सुनना था। भारद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया कि हे नाथ! मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। आप वेदों का तत्व जानने वाले हैं, इसलिए मेरे संदेह का निवारण कर सकते हैं। इसे पूछते हुए भय और लाज आ रही है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ।

हे प्रभु! मैं आपसे पूछता हूं कि वे राम कौन हैं, जिनका जाप निरंतर भगवान शंकर करते रहते हैं। एक राम तो अवध नरेश दशरथ के कुमार हैं, जिनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु! वही राम हैं या कोई दूसरे हैं, जिनको शिवजी जपते हैं? याज्ञवल्क्य उनका मंतव्य समझ गए। उन्होंने फिर विस्तार से रामकथा सुनाई और कहा कि ये वही राम हैं, जिनका भगवान शंकर निरंतर जाप करते हैं, जिस राम नाम के जाप से जीव को इस संसार-सागर से मुक्ति मिल जाती है।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 31 दिसंबर, 1950

कोरिया रणक्षेत्र से स्वतः हट जाएगा अमेरिका

अमरीका स्वतः कोरिया से हट जायगा

ऑब्जर्वर के संवाददाता का कथन है कि वाशिंगटन के फौजी हलकों में यह बात बड़ी गंभीरता से कही जा रही है कि अमेरिका कोरिया के रणक्षेत्र से स्वतः हट जाएगा। कहा जा रहा है कि अमेरिका कोरिया की लड़ाई से थक गया है।

बांस तोड़ेगा जलवायु परिवर्तन का कुचक्र

एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि भारत में बांस के जंगल प्रति वर्ष लगभग 12 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख सकते हैं।

आकांक्षा रस्तोगी

उम्मीद

जलवायु परिवर्तन सबसे गंभीर वैश्विक मुद्दों में से एक है, जो दुनिया भर के पारिस्थितिकी तंत्र, अर्थव्यवस्थाओं और समुदायों को प्रभावित कर रहा है। जैसे-जैसे विभिन्न देश कार्बन उत्सर्जन को कम करने और कार्बन पृथक्करण बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, बांस एक आशाजनक समाधान के रूप में उभर रहा है। अपनी तीव्र वृद्धि, उच्च बायोमास उत्पादन और कार्बन पृथक्करण क्षमताओं के कारण बांस जलवायु परिवर्तन से प्रभावी ढंग से निपटने का अवसर दे सकता है।

अध्ययनों से पता चला है कि बांस पारंपरिक पेड़ों की तुलना में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड सोख सकते हैं। यह कार्बन पौधे के तने, पत्तियों और जड़ों सहित बायोमास में जमा होता है। इसके अतिरिक्त, बांस की व्यापक जड़ प्रणाली मिट्टी को स्थिर करने और कटाव को रोकने में मदद करती है, जिससे कार्बन के प्राकृतिक भंडारण में भी मदद मिलती है। बांस का उच्च बायोमास उत्पादन जलवायु परिवर्तन के शमन का महत्वपूर्ण कारक है। यह बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ का उत्पादन करता है, जिसका उपयोग बायोएनर्जी सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। बांस के बायोमास को बायोचार में परिवर्तित किया जा सकता है, जो चारकोल का एक रूप है, और सैकड़ों वर्षों तक कार्बन को वायुमंडल से अलग कर सकता है। बांस लकड़ी का एक स्थायी विकल्प प्रदान करता है। इसकी कटाई के बाद इसे दोबारा लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अपनी जड़ से यह दोबारा उगता है। बांस पारंपरिक वनों पर दबाव भी कम करता है और इस तरह वन और जल संरक्षण में योगदान देता है।

दुनिया भर में बांस के जंगल लगभग 3.15 करोड़ हेक्टेयर में फैले हुए हैं। चीन, भारत और म्यांमार प्रमुख बांस उत्पादक देश हैं। कई वैश्विक पहलें जलवायु परिवर्तन के शमन में बांस की भूमिका पर जोर देती हैं। इथियोपिया और घाना जैसे देश अपने पुनर्वनीकरण और भूमि बहाली प्रयासों के तहत बांस की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। कोलंबिया और इक्वाडोर जैसे देश सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के लिए बांस को अपनी राष्ट्रीय रणनीतियों में शामिल कर रहे हैं। चीन ने भी जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए बांस की खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया है।

भारत दुनिया के सबसे बड़े बांस उत्पादकों में से एक है, जहां लगभग 1.4 करोड़ हेक्टेयर बांस के जंगल हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में देश के बांस संसाधनों का 50 फीसदी से अधिक हिस्सा है। केंद्र सरकार के बांस मिशन का उद्देश्य बांस की खेती और इसके टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देना है। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि भारत में बांस के जंगल प्रति वर्ष लगभग 12 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख सकते हैं। यह आंकड़ा भारत के जलवायु परिवर्तन शमन प्रयासों में बांस के संभावित योगदान को दर्शाता है। राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम) ग्रामीण समुदायों की आजीविका बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने के लिए गैर-वन क्षेत्रों में बांस की खेती को बढ़ावा देता है। विभिन्न राज्य सरकारों ने बांस की खेती और उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए हैं।

बांस की खेती और प्रबंधन के बारे में सीमित जागरूकता है। इसके अतिरिक्त, बांस के कार्बन पृथक्करण को मापने के लिए मानकीकृत पद्धतियों की कमी इसके जलवायु लाभों के मूल्यांकन को जटिल बनाती है। बांस के पारिस्थितिक और आर्थिक लाभों को बेहतर ढंग से समझने के लिए अनुसंधान में निवेश करना, बांस की खेती, उपयोग और व्यापार को बढ़ावा देने वाली नीतियां बनाना, प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों और हितधारकों की क्षमता को बढ़ाना और बांस उत्पादों के लिए बाजार बनाना और विस्तार करना जरूरी है। बांस जलवायु परिवर्तन के शमन के लिए आशाजनक समाधान प्रस्तुत करता है। यह जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक मूल्यवान संसाधन है। सरकारों, अनुसंधान संस्थानों और समुदायों के ठोस प्रयासों से बांस सतत विकास को बढ़ावा देते हुए वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने में अहम भूमिका निभा सकता है। बांस की क्षमता का उपयोग करके हम एक हरित जलवायु-प्रिय भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं।

-लेखिका राष्ट्रीय बांस मिशन की सलाहकार हैं।